



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-11.12.2025

विषय:- थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा कुल 04 अन्तर्जनपदीय शातिर ठग गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1,50,300/- रु0 नगद व 01 अदद पीली धातु की चेन बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के कुशल नेतृत्व में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-325/25 धारा 318(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित 04 नफ़र वांछित शातिर अभियुक्तगण 1. शंकर पुत्र स्व0 रामलाल निवासी श्रीरामपुर थाना श्रीरामपुर जनपद चित्रकूट, 2. सुनील कुमार रायभट्ट पुत्र श्री प्रेमशंकर निवासी स्थायी पता ग्राम बादरीपुट थाना बसरेहर जिला इटावा हालपता डुमरी पड़ाव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी, 3. शिवा राजभर पुत्र स्व0 भीमा निवासी स्थायी पता बदालीखेड़ा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ हालपता डुमरी पड़ाव रामचरन स्कूल के पीछे मकान मालिक सिद्धू पटेल थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी व 4. गणेश कुमार पुत्र तेजपाल निवासी स्थानीय पता बादरीपुट थाना बसरेहर जिला इटावा हालपता डुमरी पड़ाव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी को आज दिनांक-11.12.2025 को समय रात्रि करीब 12.50 बजे गांजा गली पहड़िया से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से ठगी के कुल 1,50,300/- रु0 नगद व 01 अदद पीली धातु की चेन बरामद हुआ । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

दिनांक-09.12.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को सिक्के दिखाकर सोना व गहनों का प्रलोभन देते हुए कुल 1 लाख 52 हजार रुपये ठग लेने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना लालपुर पाण्डेयपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

विवरण पूछताछ- चारों अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग चेन व गहना दिखाकर लोगों से ठगी करते हैं । अभियुक्त शंकर ने कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक-07.12.2025 को हम चारों लोग पाण्डेयपुर की एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे एक व्यक्ति को टारगेट किये थे और मैं ही उसके पास जाकर उसको कुछ गहने व सोने का लालच देकर उसके पास से रुपया ले लिया था । मेरे तीनों साथी भी आस-पास ही खड़े थे और फिर हम चारों लोग उसे चकमा देकर वहाँ से लापता हो गये थे । बाद में हम

लोगों ने मिले रुपये को गिना तो कुल मिलाकर हमें 1 लाख 52 हजार रुपये मिले थे, जिसमें से 1700/- रुपये हम लोगों ने खाने पीने व नशेबाजी में खर्च कर दिया था और शेष 1 लाख 50 हजार 300 रुपये का हमने बटवारा कर लिया था। हम लोग यह रुपये लेकर आज बनारस से कहीं और जाने की फिराक में थे कि आप लोगों ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शंकर पुत्र स्व० रामलाल निवासी श्रीरामपुर थाना श्रीरामपुर जनपद चित्रकूट, उम्र 32 वर्ष।
2. सुनील कुमार रायभट्ट पुत्र श्री प्रेमशंकर निवासी स्थायी पता ग्राम बादरीपुट थाना बसरेहर जिला इटावा हालपता डुमरी पड़ाव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र 35 वर्ष।
3. शिवा राजभर पुत्र स्व० भीमा निवासी स्थायी पता बदालीखेड़ा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ हालपता डुमरी पड़ाव रामचरन स्कूल के पीछे मकान मालिक सिद्धू पटेल थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र 35 वर्ष।
4. गणेश कुमार पुत्र तेजपाल निवासी स्थानीय पता बादरीपुट थाना बसरेहर जिला इटावा हालपता डुमरी पड़ाव थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी, उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. ठगी के कुल 1,50,300/- (एक लाख पचास हजार तीन सौ) रु० नगद।
2. 01 अदद पीली धातु की चेन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

गांजा गली पहड़िया से, दिनांक-11.12.2025 को समय रात्रि करीब 12.50 बजे।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त शंकर पुत्र स्व० रामलाल निवासी श्रीरामपुर थाना श्रीरामपुर जनपद चित्रकूट-

1. मु०अ०सं० 325/2025 धारा 318(4)/317(2) बी०एन०एस० थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी।

अभियुक्त सुनील कुमार रायभट्ट पुत्र प्रेमशंकर निवासी स्थायी पता ग्राम बादरीपुट थाना बसरेहर जिला इटावा-

1. मु०अ०सं० 293/2025 धारा 123,303(2),317(2),318(4) बी०एन०एस० थाना करहल जनपद मैनपुरी।
2. मु०अ०सं० 303/2025 धारा 123,303(2),317(2),318(4) बी०एन०एस० थाना करहल जनपद मैनपुरी।
3. मु०अ०सं० 405/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना करहल जनपद मैनपुरी।
4. मु०अ०सं० 455/2022 धारा 406,411,420 भा०द०वि० थाना सौरिख जनपद कन्नौज।
5. मु०अ०सं० 457/2022 धारा 21/22 NDPS ACT थाना सौरिख जनपद कन्नौज।

अभियुक्त शिवा राजभर पुत्र स्व० भीमा निवासी स्थायी पता बदालीखेड़ा थाना सरोजनी नगर जनपद लखनऊ-

1. मु०अ०सं० 325/2025 धारा 318(4)/317(2) बी०एन०एस० थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि० वाराणसी।

अभियुक्त गणेश कुमार पुत्र तेजपाल निवासी स्थानीय पता बादरीपुट थाना बसरेहर जिला इटावा-

1. मु०अ०सं० 293/2025 धारा 123,303(2),317(2),318(4) बी०एन०एस० थाना करहल जनपद मैनपुरी।
2. मु०अ०सं० 303/2025 धारा 123,303(2),317(2),318(4) बी०एन०एस० थाना करहल जनपद मैनपुरी।
3. मु०अ०सं० 405/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना करहल जनपद मैनपुरी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. उ0नि0 धर्मेन्द्र वर्मा थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. उ0नि0 प्रवीण कुमार सचान थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. उ0नि0 महेश मिश्रा थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. उ0नि0 करुणाशील थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. हे0का0 चन्द्रसेन सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
7. का0 मनीष तिवारी थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
8. का0 रवीन्द्र कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
9. का0 अजीत कुमार यादव थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
10. का0 दिवाकर सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
11. का0 शशि कुमार थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।